न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 27/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/47

अनवान

1. श्री चम्पालाल पिता दयाराम जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।
2. मांगीबाई पुत्री दयाराम जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।
3. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री दयाराम पत्नी जीतमल जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।
4. श्रीमती गीता पुत्री दयाराम पत्नी भेरूलाल जाट निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
5. श्रीमती कंचनबाई पुत्री दयाराम निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।
6. श्रीमती तुलसाबाई पुत्री दयाराम पत्नी जगदीश जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री हीरालाल पिता दयाराम जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

1/1 श्रीमती नर्बदा पत्नी हीरालाल जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

1/2 श्री गगन पिता हीरालाल जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

2. श्रीमती श्यामु पिता नाथु पत्नी भेरूलाल गुरूगर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील वल्लभनगर।
3. श्रीमती जमना पिता नाथु पत्नी जमनालाल गुरूगर्ग निवासी महुडा तहसील डुंगला।
4. श्री पप्पुलाल दत्तक पिता नाथु गुरूगर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील वल्लभनगर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रमेशचन्द्र बडाला, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चायलाखेडा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 4057, 5058, 4059, 4060 किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान जमाबन्दी खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 745 पर चम्पालाल पिता दयाराम एवं दयाराम पिता किशनलाल जाट 1/2 एवं पप्पुलाल दत्तक पिता नाथु 1/3 एवं श्यामु पुत्री नाथु गुरू 1/6 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज होकर चली आ रही है। वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से का ही वाद में विवाद हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि स्वर्गीय नाथु पिता प्रताप गुरू के बजाय दिनांक 06.08.2005 को जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 457 से श्रीमती लेहरीबाई पत्नी नाथु, श्यामु बाई, जमनाबाई पिता नाथुलाल के नाम पर अंकन हुई हैं। स्वर्गीय नाथु पिता प्रताप गुरू के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी मात्र दो पुत्रिया श्यामुबाई, जमनाबाई ही हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से के खातेदार श्रीमती लेहरीबाई पत्नी नाथुलाल गुरू एवं श्यामुबाई, जमनाबाई पिता नाथु गुरू (ब्राहम्ण) निवासी चायलाखेडा से दयाराम पिता किशनलाल जाट एवं चम्पालाल पिता दयाराम जाट ने दिनांक 27.10.2005 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रेता ने अपना विवादित भूमि का 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर क्रेता को खरीदसुदा भूमि पर स्वतन्त्र आधिपत्य सिपूर्द कर दिया तबसे खरीद सुदा भूमि पर क्रेता का स्वतन्त्र आधिपत्य चला आ रहा हैं।

4. यह कि विवादित भूमि के क्रेता दयाराम पिता किशनलाल जाट का दिनांक 16.02.2015 ई. को निधन हो चुका है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 जायज वारिस है उत्तराधिकारी है शेष 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार वादी संख्या 1 स्व. श्री दयाराम पिता किशनलाल रहे है व उनके नाम भूमि खातेदारी हक से जमाबन्दी में अंकन हैं।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी संख्या 1 व उसके पिता द्वारा दिनांक 27.10. 2005 को क्रय कर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया। उसके बाद विक्रेता श्रीमती लेहरीबाई बेवा नाथु गुरू (ब्राहम्ण) द्वारा उनके कोई पुत्र सन्तान नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 4 को दत्तक दिनांक 12.05.2012 को रखने से नामान्तरण संख्या 533 से उनके नाम खाता रद्दोबदल कर दिया किन्तु मूल खातेदार द्वारा वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि दिनांक 27.10.2005 ई. तक क्रेता वादी संख्या 1 व उसके पिता दयाराम जाट को विक्रय कर दी गई थी यानि की उक्त वाद वर्णित भूमि में विक्रेता लेहरीबाई, श्यामु बाई, जमनाबाई गुरू निवासी चायलाखेडा का कोई हक हित स्वतः शेष नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundir
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि वाद वर्णित भूमि खरीद के समय क्रेता द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकन कराने से रहने के कारण विरासत से पुनः वाद वर्णित भूमि पप्पुलाल, जमनाबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो गई है इसी दौरान दिनांक 26.11.2015 को रजिस्ट्री हक त्याग से जमनाबाई ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा गलत रूप से वाद वर्णित भूमि में पप्पुलाल के नाम दर्ज करवा दिया जबकि खातेदारान का भूमि को विक्रय करने के बाद कभी भी एक पल के लिए भी आधिपत्य नहीं रहा। न है न ही कोई हक हित की शेष है गलत अंकन राजस्व रेकार्ड में रह जाने से हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड रहा है व अब हम वादीगण को हमारे खातेदारी अधिकारो बाबत प्रतिवादीगण चुनोती देने लगे है जिससे हमे भय हो गया है कि प्रतिवादीगण अवैध अंकन का नाजायज लाभ उठा कर हम वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी हक की भूमि नुमायशी तौर पर हस्तान्तरित कर देगे। प्रतिवादीगण को दिनांक 10.04.2022 ई को कहा कि हम वादीगण द्वारा क्रयसुदा भूमि हमारे नाम पर अंकन करा दो तो उन्होने कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा जिससे बिनाय विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 10.04.2022 को पैदा हुआ जो निरन्तर हैं।

7. यह कि हम वादीगण को हमारे खातेदारी हक की रक्षा के लिए भूमि नाम पर अंकन कराने के लिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पेश करना पड रहा हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा चायला खेडा पटवर हल्का ईण्टाली तहसील मावली के आराजी नम्बर 4057, 4058, 4059, 4060 किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि में विक्रेता के 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा बराबर से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराई जाकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम खातेदारी हक से अंकन कराई जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का नाम हटाया जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

1/1 व 1/2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने पर हम प्रतिवादीगण सहमत हैं।

10. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री चम्पालाल का पेश किया। वादी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2005 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2ए, जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2059–61 प्रदर्श 3, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2062–65 प्रदर्श 4, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2066–69 प्रदर्श 5 करवाये गये। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

11. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम चायलों का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2062–65 के खाता संख्या 22 पर दर्ज आराजी नम्बर 3886, 4057, 4058, 4059, 4060 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि उंकारलाल पिता शंकरलाल 1/2, नाथू पिता प्रताप 1/2 गुरू सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत के नामान्तरकरण संख्या 457 दिनांक 06.08.2005 के तहत नाथु पिता प्रताप 1/2 की बजाय श्रीमती लेहरीबाई पति नाथु, श्यामु बाई, जमना बाई पिता नाथु 1/2 हि.ब. के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 27.10.2005 से श्रीमती लेहरीबाई पति नाथु, श्यामु बाई, जमना बाई पिता नाथु द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के मौरूस दयाराम पिता किशनलाल एवं वादी संख्या 1 चम्पालाल पिता दयाराम जाट का विक्रय कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियो को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के मौरूस दयाराम पिता किशनलाल एवं वादी संख्या 1 चम्पालाल पिता दयाराम जाट का नाम अंकित करना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 855 दिनांक 20.02.13 को लेरीबाई पत्नी नाथू 1/6 के बजाय पप्पुलाल मु. नाथु, श्यामुबाई, जमनाबाई पिता नाथु 1/6 हि.ब. का नाम दर्ज हुआ। हक त्याग पप्पुलाल मु. नाथू 1/3, श्यामु पिता नाथु 1/6 गुरू दर्ज हुआ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 27.10.2005 से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार वादी संख्या 1 एवं वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मौरूस दयाराम हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही हुआ था। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही करना राजस्व कर्मचारियों की भूल है। इससे स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 27.10.2005 के बाद श्रीमती लेहरीबाई पति नाथु, श्यामु बाई, जमना बाई पिता नाथु 1/2 हि.ब. में किये गये सभी परिवर्तन अवैध है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को आपत्ति नहीं हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम चायलों का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 745 पर दर्ज आराजी नम्बर 4057, 4058, 4059, 4060 किता 4 कुल रकबा 0.4937 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्यामु पुत्री नाथू 1/6 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 पप्पुलाल दत्तक पुत्र नाथु 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 2/7 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 6 को संयुक्त रूप से 5/28 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को संयुक्त रूप से 1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चम्पालाल पिता दयाराम जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।
2. मांगीबाई पुत्री दयाराम जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।
3. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री दयाराम पत्नी जीतमल जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।
4. श्रीमती गीता पुत्री दयाराम पत्नी भेरूलाल जाट निवासी ढुंढिया तहसील मावली।
5. श्रीमती कंचनबाई पुत्री दयाराम निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।
6. श्रीमती तुलसाबाई पुत्री दयाराम पत्नी जगदीश जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भोपालसागर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री हीरालाल पिता दयाराम जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

1/1 श्रीमती नर्बदा पत्नी हीरालाल जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

1/2 श्री गगन पिता हीरालाल जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर।

2. श्रीमती श्यामु पिता नाथु पत्नी भेरूलाल गुरूगर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील वल्लभनगर।
3. श्रीमती जमना पिता नाथु पत्नी जमनालाल गुरूगर्ग निवासी महुडा तहसील डुंगला।
4. श्री पप्पुलाल दत्तक पिता नाथु गुरूगर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील वल्लभनगर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 27/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/47

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता [illegible]म चायलों का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली [illegible] उदयपुर क[illegible]कल जमाबंदी संवत 2077–80 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 745 पर दर्ज आराजी नम्बर 4057, 4058, 4059, 4060 किता 4 कुल रकबा 0.4937 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्यामु पुत्री नाथू 1/6 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 पप्पुलाल दत्तक पुत्र नाथु 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 2/7 हिस्से से, वादी संख्या 2 से 6 को संयुक्त रूप से 5/28 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को संयुक्त रूप से 1/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:46 IST
Reason: SelfAttested